भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1645

10 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

देश में खाद्य सुरक्षा

1645. श्रीमती रंजीत रंजन:

श्री हरीस बीरन:

श्री नीरज डांगी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार विशेष रूप से दूरदराज और अल्पसेवित क्षेत्रों में खाद्यान्नों का समान वितरण सुनिश्चित करने में विफल हो रही है;

(ग) सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता और पोषण मूल्य में सुधार करने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(घ) सरकार देश भर में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों की प्रभावकारिता की निगरानी किस प्रकार करती है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए) में, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% तक ग्रामीण आबादी को और 50% तक शहरी आबादी को कवरेज प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, इस प्रकार यह अधिनियम कुल आबादी के लगभग दो तिहाई को कवरेज प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत कवरेज काफी अधिक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिल सके। इस अधिनियम को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है और इस अधिनियम के तहत लगभग 80.67 करोड़ लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किए जा रहे हैं। किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से खाद्य असुरक्षा के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

...2/-

(ग): लक्षित जनसंख्या के बीच फोर्टिफाइड चावल के एक समान पोषण संबंधी प्रभाव को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) स्कीम और एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) स्कीम तथा अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति कर रही है। सरकार की प्रत्येक स्कीम में कस्टम-मिल्ड चावल को फोर्टिफाइड चावल से बदल दिया गया है और मार्च, 2024 तक फोर्टिफाइड चावल के वितरण का 100% कवरेज प्राप्त कर लिया गया है। मिलेट्स (श्री अन्न), जिन्हें आमतौर पर पोषक अनाज के रूप में जाना जाता है, पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का भाग हैं।

(घ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, स्थानीय प्राधिकारी, या किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, के माध्यम से उचित दर दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणालियों और अन्य कल्याणकारी स्कीमों की कार्यप्रणाली की आवधिक सामाजिक लेखा परीक्षा का प्रावधान करता है। केंद्र सरकार भी इस प्रकार की लेखापरीक्षा के संचालन में अनुभव रखने वाली स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से सामाजिक लेखापरीक्षा करा सकती या कराए जाने का कारण बन सकती ही है।

सरकार ने 03 वर्षों (2020-23) के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के कार्यान्वयन का समवर्ती मूल्यांकन करने के लिए प्रतिष्ठित निगरानी संस्थानों (एमआई) को नियुक्त किया है। मूल्यांकन कार्य के लिए तैयार की गई प्रश्नावली में पीएमजीकेएवाई के तहत निःशुल्क खाद्यान्न की प्राप्ति से संबंधित कुछ प्रश्न भी शामिल थे। सर्वेक्षण किए गए परिवारों की, निगरानी संस्थानों (एमआई) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से पता चलता है कि सर्वेक्षण की अवधि के दौरान पात्र लाभार्थियों को जनवरी 2023 से एनएफएसए के तहत निःशुल्क राशन प्रदान किया गया है।

*****